मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–१८०/२०२० (एम.ए.सी.पी.सं. २७/२००२)
श्रीमती फूलवती अहिरवार आदि बनाम मधुसूदन गुप्ता आदि

२१.११.२०२०

पत्रावली प्रस्तुत हुई। सिंडीकेट (वर्तमान में कैनरा बैंक)शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०९ .११.२०२० को आदेश पारित किया गया है, जिसमें याचीगण श्रीमती फूलवती , अनिल एवं धर्मेन्द्र की एफ.डी.आर. की धनराशि पर उन्हें प्राप्त होने वाले ब्याज को वार्षिक भुगतान किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, किन्तु उनकी शाखा में वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रचलित नहीं है बल्कि उनकी शाखा में मासिक , त्रैमासिक व षट्मासिक ब्याज दिलाए जाने की ही योजना प्रचलित है। इस कारण उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अतः उन्होंने मौखिक रूप से प्रार्थना की है, कि उक्त आदेश में इस संबंध में मासिक, त्रैमासिक अथवा षट्मासिक ब्याज दिलाए जाने हेतु आदेश संशोधित करने की कृपा की जाए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आधार पर्याप्त हैं । मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से प्रस्तुत प्रकरण में पारित आदेश दिनाँकित ०९.११.२०२० में, उक्त याचीगण को उनकी एफ.डी.आर. पर भुगतान होने वाले ब्याज को वार्षिक दिलाए जाने के स्थान पर "षट्मासिक ब्याज" भुगतान किया जाना संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। तदनुसार आदेश दिनाँकित ०१.११.२०२० संशोधित किया जाता है। अनुपालन सुनिश्चित हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.21 16:57:01 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI